



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू./CCU - 60/2026

कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (SSC CGLE), 2025 के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर विभाग, दिल्ली जोन) में कार्यालय अधीक्षक के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री स्पर्श, निरीक्षक (समूह 'ब' – अराजपत्रित), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्तालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 25.08.2026 को दिये गये तकनीकी त्याग-पत्र को दिनांक 08.09.2026 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Office Superintendent in the Central Board of Direct Taxes (Income Tax, Delhi Zone) through SSC Combined Graduate Level Examination (CGLE), 2025, the **Technical Resignation** dated 25.08.2026 tendered by Shri Sparsh, Inspector (Group 'B' – Non-Gazetted), CGST Commissionerate, Udaipur, is hereby accepted with effect from 08.09.2026.

चूंकि अधिकारी की इस विभाग में निरीक्षक के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए निरीक्षक ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not been confirmed in this Department on the post of Inspector, therefore, he will not retain any lien in the Department in grade of Inspector.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अजय गुप्ता)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री स्पर्श, निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, उदयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, उदयपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. II/ (33)/51/2026-ADMN-O/o COMM-R-CGST-UDAIPUR I/4816517/2026 दिनांक 03.09.2026 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री स्पर्श, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण

इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री स्पर्श, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।

3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/ अलवर/ उदयपुर/ जोधपुर/ अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/ अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।

4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।

5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।

6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

7. गार्ड फाईल/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।